<u>पर्चा डिक्री</u>

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 131/2018

अनवान :

1. बलवान सिंह पुत्र मनरूप जाति जाट आयु 33 वर्ष निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम

1. मनरूप पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. ताराचन्द
3. राजमल
4. प्रेम कुमार

} पिसरान मनरूप जाति जाट निवासीगण कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

5. रोशनी देवी पुत्री मनरूप पत्नी भूराराम जाति कणाऊ हाल निवासी झाड़सर छोटा तहसील तारानगर जिला चूरू।
6. बैंक पी.एन.बी. शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबंधक

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचंन्द वर्मा एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 संदीप बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कणाऊ की जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 के खाता सं0 193/198 के खसरा नं0 130/2 की 6.639 है0 बारानी और खसरा सं0 219/2 की 4.704 है0 बारानी कुल 11.343 है0 बारानी वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 के मनरूप नाम खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 (मनीराम) मनरूप के बजाय प्रतिवादी सं0 1 (मनीराम) के 1/6 हिस्सा व वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 चारों संयुक्त रूप से 5/6 हिस्सा के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 5 ने पारिवारिक सैटलमेन्ट में अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार प्रतिवादी सं0 1 (मनीराम) मनरूप का 1/6 हिस्सा व वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के नाम से 5/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.6.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 131/2018

अनवान :

1. बलवान सिंह पुत्र मनरूप जाति जाट आयु 33 वर्ष निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादी

बनाम

1. मनरूप पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. ताराचन्द
3. राजमल
4. प्रेम कुमार

(2 से 4) पिसरान मनरूप जाति जाट निवासीगण कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

5. रोशनी देवी पुत्री मनरूप पत्नी भूराराम जाति कणाऊ हाल निवासी झाड़सर छोटा तहसील तारानगर जिला चूरू।
6. बैंक पी.एन.बी. शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबंधक

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा **: वादी**

वकील श्री सन्दीप बैनीवाल **: प्रतिवादी सं0 1 ता 5**

निर्णय **दिनांक :** 13-6-18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कणाऊ की जमाबंदी सम्वत् 2072— 2075 के खाता सं0 193/198 के खसरा नं0 130/2 की 6.639 है0 बारानी और खसरा सं0 219/2 की 4.704 है0 बारानी कुल 11.343 है0 बारानी वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है जो कि भूमि हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है व वादी के पिता मनरूप को वादी के दादा हरजी राम से प्राप्त हुई है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है व वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है उक्त वाद भूमि पारिवारिक सेंटलमेंट के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 4 को बहिस्साबराबर प्राप्त हुई है इसी अनुसार वे काश्त करते चले आ रहे है प्रतिवादीया सं0 5 वादी की बहिन है जो शादीशुदा है तथा अपने ससुराल में खुशी से आबाद है जिसने अपने हक हिस्सा की भूमि अपनी शादी के समय अपने भाइयों वादी और प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 के पक्ष में तर्क की हुई है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 5 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है। प्रतिवादी सं0 6 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में बलवान सिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ खाता सं0 193/198 सम्वत्

2072–75 की प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम कणाऊ सम्वत् 2020 की प्रदर्श 3 व 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम कणाऊ सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम कणाऊ सम्वत् 2020 की प्रदर्श 3 व 4, प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद भूमि वादी के दादा हरजी वल्द गुमाना के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में मनरूप के वारिसान में पत्नी पार्वती, चार पुत्र ताराचन्द, राजमल, प्रेमकुमार, बलवानसिंह व एक पुत्री रोशनी होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कणाऊ की जमाबंदी सम्वत् 2072– 2075 के खाता सं0 193/198 के खसरा नं0 130/2 की 6.639 है0 बारानी और खसरा सं0 219/2 की 4.704 है0 बारानी कुल 11.343 है0 बारानी वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के बजाय प्रतिवादी सं0 1 मनीराम 1/6 हिस्सा व वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 चारों संयुक्त रूप से 5/6 हिस्सा के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 5 ने पारिवारिक सैटलमेन्ट में अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार प्रतिवादी सं0 1 मनीराम को 1/6 हिस्सा व वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के नाम से 5/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़